

प्रेस नोट दिनांक 09.09.2025

थाना बलुआ जनपद चन्दौली



थाना बलुआ पुलिस द्वारा 25000/ रुपये का इनामिया शातिर गोतस्कर को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- आदित्य लांगे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर(आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर व स्नेहा तिवारी, क्षेत्राधिकारी सकलडीहा के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष बलुआ अतुल कुमार के नेतृत्व में दिनांक 09.09.2025 को समय 8.30 बजे थाना बलुआ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 12/2025 धारा 106(1)/281//324(2)/324(3) बीएनएस व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 व 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 में वांछित इनामिया अभियुक्त शेखलाल सोनकर उर्फ सोनू पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम ककरही पोस्ट खगवल थाना सकलडीहा जिला चन्दौली उम्र करीब 27 वर्ष को अभियुक्त के घर ग्राम ककरही थाना सकलडीहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शेखलाल सोनकर उर्फ सोनू पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम ककरही पोस्ट खगवल थाना सकलडीहा जिला चन्दौली उम्र करीब 27 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

1. मु0अ0सं0- 12/2025 धारा 106(1)/281//324(2)/324(3) बीएनएस व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 व 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0 02/2021 धारा 307/419/420/467/468/471 भादवि व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना चन्दौली जनपद चन्दौली
3. मु0अ0सं0 73/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी विवरण-

गिरफ्तारी का स्थान:- ग्राम ककरही थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी का समय:- दिनांक:- 09.09.2025 समय 08.30 बजे

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. अतुल कुमार प्रजापति थानाध्यक्ष थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह चौकी प्रभारी महुअरकला थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
3. उ0नि0 जगदीश प्रसाद थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
4. का0 अनुज वर्मा थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
5. का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

◆ थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 कार से चोरी का माल (103.84 किग्रा0 केबल/ तांबा का तार) बरामद कर 01 चोर को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- आदित्य लांगे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर(आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर के निर्देशन व कृष्ण मुरारी शर्मा क्षेत्राधिकारी पी.डी.डी.यू. नगर के कुशल मार्गदर्शन में अनिल कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक अलीनगर के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 08.09.2025 को समय करीब 23.00 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर रिंग रोड रेलवे फ्लाई ओवर ग्राम धमिना के पास से 01 जेस्ट वाहन संख्या UP65FT9990 पर लदा 103.84 किग्रा0 केबल/तांबा का तार बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम अजीत यादव पुत्र स्व0 राम दुलारे यादव निवासी म0न0 223 काली महल आनन्दनगर थाना मुगल सराय जनपद चन्दौली उम्र 26 वर्ष बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 420/2025 धारा 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने साथी राकेश यादव पुत्र अज्ञात निवासी काली महल थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली से चोरी का केबल/तार खरीदकर बेचने के लिए कार की डिग्गी में लादकर जा रहा था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

अजीत यादव पुत्र स्व0 राम दुलारे यादव निवासी म0न0 223 काली महल आनन्दनगर थाना मुगल सराय जनपद चन्दौली उम्र 26

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

मु0अ0सं0 420/2025 धारा 317 (2) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक-08.09.2025

समय-23.00 बजे

स्थान- रिंग रोड रेलवे फ्लाई ओवर ग्राम धमिना के पास से

बरामदगी-

01 जेस्ट वाहन संख्या UP65FT 9990 पर लदा 103.84 किग्रा0 केबल/तार का तांबा बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

उ0नि0 पंकज कुमार सिंह चौकी प्रभारी ताराजीवनपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

उ0नि0 अनन्त कुमार भार्गव चौकी प्रभारी लौंदा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

का0 का0 रंजीत यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

◆ थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 कार से चोरी का माल (103.84 किग्रा0 केबल/ तांबा का तार) बरामद कर 01 चोर को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- आदित्य लांगे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर(आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर के निर्देशन व कृष्ण मुरारी शर्मा क्षेत्राधिकारी पी.डी.डी.यू. नगर के कुशल मार्गदर्शन में अनिल कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक अलीनगर के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 08.09.2025 को समय करीब 23.00 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर रिंग रोड रेलवे फ्लाई ओवर ग्राम धमिना के पास से 01 जेस्ट वाहन संख्या UP65FT9990 पर लदा 103.84 किग्रा0 केबल/तांबा का तार बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम अजीत यादव पुत्र स्व0 राम दुलारे यादव निवासी म0न0 223 काली महल आनन्दनगर थाना मुगल सराय जनपद चन्दौली उम्र 26 वर्ष बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 420/2025 धारा 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने साथी राकेश यादव पुत्र अज्ञात निवासी काली महल थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली से चोरी का केबल/तार खरीदकर बेचने के लिए कार की डिग्गी में लादकर जा रहा था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

अजीत यादव पुत्र स्व0 राम दुलारे यादव निवासी म0न0 223 काली महल आनन्दनगर थाना मुगल सराय जनपद चन्दौली उम्र 26

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

मु0अ0सं0 420/2025 धारा 317 (2) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक-08.09.2025

समय-23.00 बजे

स्थान- रिंग रोड रेलवे फ्लाई ओवर ग्राम धमिना के पास से

बरामदगी-

01 जेस्ट वाहन संख्या UP65FT 9990 पर लदा 103.84 किग्रा0 केबल/तार का तांबा बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

उ0नि0 पंकज कुमार सिंह चौकी प्रभारी ताराजीवनपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

उ0नि0 अनन्त कुमार भार्गव चौकी प्रभारी लौंदा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

का0 का0 रंजीत यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

का0 दीपक साहू थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

का0 धीरेन्द्र कुमार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।